प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 17.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर प्रतिदिन की भाति जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 17.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 17.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात/सदर व यातायात पुलिस टीम द्वारा छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरुक-

आज दिनांक 17.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में एंव अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात/सदर श्री रामप्रवेश द्वारा मय क्षेत्राधिकारी, प्रभारी यातायात व थाना कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ वीरभूमि इण्टर कालेज महोबा में छात्र-छात्राओ को यातायात नियमों की जानकारी दी गयी व यातायात नियमो के पर्चे/पम्पलेट वितरित किये गये ।

यातायात पुलिस टीम द्वारा बच्चों को बताया गया कि पैदल चलने वाले सडक पर हमेशा बायी ओर चले, स्कूली बच्चे निर्धारित बस स्टॉप से ही चढ़े व उतरें उतरने के बाद दोनों तरफ देखकर सावधानी से आगे बढ़े, ओवर स्पीडिंग न करें, दोपहिया वाहन चालक एवं सवारी हेलमेट अवश्य पहनें । लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरुक करने, वाहन को ओवर स्पीड से न चलाने के साथ नियमित रुप से हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट के प्रयोग हेतु प्रेरित करने की अपील की गयी ।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 17.11.2022

मीडिया सेल, महोबा

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तार अभियान के अनुपालन में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व उसमें लिप्त तस्करों के विरूद्ध चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 17.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गयी टीम उ0नि0 अवनीश कुमार यादव द्वारा 01 नफर अभियुक्त देवेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र प्रेमनारायण उम्र करीब 38 वर्ष निवासी मु0 हटवारा कस्बा व थाना कुलपहाड़ महोबा को इन्दौरा जाने वाली सड़क से एक झोले में 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 327/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

देवेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र प्रेमनारायण उम्र करीब 38 वर्ष निवासी मु0 हटवारा कस्बा व थाना कुलपहाड़ महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अवनीश कुमार यादव 2.कां0 देवेन्द्र राजपूत

3. कां0 इन्द्रपाल चौहान 4. कां0 विनय प्रताप सिंह

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 17.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिररफ्तारी अभियान के तहत थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित टीम उ0नि0 नवरोत्तम सिंह ने मय हमराही की मदद से सम्बन्धित न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महोबा के केस नं0 121/20 धारा 128 सीआरपीसी थाना महोबा से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी शहजाद पुत्र हनीफ उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को ग्राम लाड़पुर थाना से नियमानुसार गिरफ्तार कर सक्षम माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शहजाद पुत्र हनीफ उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 नवरोत्तम सिंह

2. का0 आमिर खान

महोबा पुलिस